पनामा का संविधान

ISBN: 978-81-999822-9-1

AUTHOR

ADV.GANESH SHRIRANG SATARKAR

(LL.M)

ADVOCATE, BOMBAY HIGH COURT

BIOGRAPHY : ADV. GANESH SHRIRANG SATARKAR

Adv. Ganesh Shrirang Satarkar is an emerging legal scholar, researcher, and academic contributor working at the intersection of law, criminology, sociology, and digital governance. He is currently associated with the Central University of Haryana, where he is pursuing postgraduate research in sociology alongside his interdisciplinary work in legal studies.

He holds an LL.M. in Criminal Law, LL.B. (Special), and has qualified the UGC-NET in both Law and Criminology. His academic research focuses on criminal justice systems, cybercrime, artificial intelligence in law, media and crime, governance studies, and socio-legal research.

Adv.Ganesh has contributed to national and international academic platforms through research publications, conference papers, and interdisciplinary collaborations. His work explores emerging legal challenges in areas such as digital justice, cyber security, social justice, gender studies, and technological transformations in legal systems.

He is actively connected with several international academic and research platforms including ORCID, Web of Science, SSRN, Vidwan (INFLIBNET), Google Scholar, OSF, and Harvard Dataverse.

Author Bio Researcher Profiles :

1. ResearchIDs : rid131046
2. Orcid Id : https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0001-8474-7432
3. ISNI : https://isni.org/isni/0000000529498911
4. Web of Science ResearcherIDOYE-6264-2025
5. Social science research network SSRN Author ID: 9293272
6. Vidwan Profile URL: https://vidwan.inflibnet.ac.in/profile/666713
7. Google Scholar : https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=4MrvCEwAAAAJ
8. OSF ID : https://osf.io/cndj8/
9. harvard.edu : https://dataverse.harvard.edu/dataverse/GANESHSHRIRANGSATARKAR).
10 https://about.me/adv.ganeshsatarkar

Email: ganeshnale0@gmail.com | adv.ganeshsatarkar@gmail.com
Mobile: +91 7066766607 | +91 9422422932

ADV. GANESH SHRIRANG SATARKAR

1. BOOK TITLE : पनामा का संविधान
2. LANGUAGE: HINDHI
3. ISBN: 978-81-999822-9-1
4. EDITION: FIRST EDITION
5. AUTHOR: Mr. GANESH SHRIRANG SATARKAR
6. PUBLISHER/ PUBLISHING AGENCY :-
7. M/s. INDIAN CHARTERED EXPORT COMPANY...– SHIVNERI, GAT NO 153, FARANDWADI, MANE MALA TAL PHALTAN, DIST - SATARA. MAHARSHTA, PIN 415523 INDIA
8. CONTACT DETAILS:
   MOBILE: +91 7066766607 EMAIL: GANESHNALE0@GMAIL.COM
9. YEAR OF PUBLICATION: 2026
10. FORMAT: SINGLE-COMPONENT RETAIL PRODUCT (BOOK)
11. PRICE (IN INDIA): ₹ 10 /- (Printed and Published in India)

COPYRIGHT & PUBLICATION STATEMENT

© 2026 **Mr. Ganesh Shrirang Satarkar (Nale)**
All rights reserved.
Disclaimer:
This publication is protected under applicable copyright laws. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, digitized, scanned, transmitted, copied, shared, sold, or circulated in any form or by any means—electronic, mechanical, photocopying, recording, audio-visual, digital, or online—without the prior written permission of the author and the publisher, except for brief quotations permitted strictly for academic, educational, research, or review purposes This book has been authored with the sole objective of presenting research-based, educational, and informative content in a clear, responsible, and accessible manner for students, scholars, and general readers. There is no intention whatsoever to offend, defame, misrepresent, or harm the sentiments, beliefs, dignity, or rights of any individual, community, group, culture, religion, or institution. All references are included purely for scholarly discussion. Every effort has been made to ensure accuracy; however, inadvertent errors may occur. Readers are requested to inform the publisher for correction in future editions. Unauthorized reproduction or piracy is punishable under law.

CERTIFICATE

OF WORLD RECORD

Proudly Presented To

Ganesh Shrirang Satarkar

In recognition of the outstanding achievement of becoming the First Indian to Translate and Publish the Constitutions of All 54 African Countries into Hindi as Separate ISBN-Registered Books, demonstrating exceptional dedication, scholarly excellence, and a significant contribution to legal literature and linguistic accessibility, thereby establishing a distinguished and historic record of academic accomplishment.

We officially announce the above-mentioned candidate as a globally certified **"Inspiration World Record Holder"**.

The certificate was issued on 27th February, 2026.

INSPIRATION IS WHERE PASSION BECOMES LEGACY

CERTIFIED

Application No. IWR/2026/UR0173
Certificate No. IWR/2026/WRH0081
Issued By: Chief Adjudicator

ISO CERTIFIED

VISHWAGURU ARPANAM 2026

VIA2025/SS-VA2025AZ760-2025-170/09102025

2 025100 900010

ISO 9001:2015 Registration No: QT-56622/0925
Micro, Small, and Medium Enterprises Registration Number: 11-0093948
Trademark Registered Under the Act of "TRADE MARKS ACT, 1999"

© www.inspirationworldrecords.org

पनामा संविधान

TITLE I – पनामा राज्य

1. अनुच्छेद 1 – पनामा एक स्वतंत्र, संप्रभु राज्य
2. अनुच्छेद 2 – सत्ता जनता से आती है
3. अनुच्छेद 3 – राज्य का क्षेत्र
4. अनुच्छेद 4 – अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन
5. अनुच्छेद 5 – प्रशासनिक विभाजन
6. अनुच्छेद 6 – राष्ट्रीय प्रतीक
7. अनुच्छेद 7 – आधिकारिक भाषा (स्पेनिश)

TITLE II – नागरिकता व विदेशी

8. अनुच्छेद 8 – नागरिकता के प्रकार
9. अनुच्छेद 9 – जन्म से नागरिकता
10. अनुच्छेद 10 – प्राकृतिककरण
11. अनुच्छेद 11 – गोद लिए गए नागरिक
12. अनुच्छेद 12 – नागरिकता नियम
13. अनुच्छेद 13 – नागरिकता समाप्ति
14. अनुच्छेद 14 – आव्रजन
15. अनुच्छेद 15 – कानून का पालन
16. अनुच्छेद 16 – सैन्य दायित्व

TITLE III – मौलिक अधिकार व कर्तव्य

Chapter 1 – Fundamental Guarantees

17. अनुच्छेद 17 – अधिकारों की सुरक्षा
18. अनुच्छेद 18 – जिम्मेदारी
19. अनुच्छेद 19 – समानता
20. अनुच्छेद 20 – कानून के समक्ष समानता
21. अनुच्छेद 21 – व्यक्तिगत स्वतंत्रता
22. अनुच्छेद 22 – न्यायिक अधिकार
23. अनुच्छेद 23 – हैबियस कॉर्पस
24. अनुच्छेद 24 – प्रत्यर्पण निषेध
25. अनुच्छेद 25 – आत्म-दोष से सुरक्षा
26. अनुच्छेद 26 – निवास की सुरक्षा
27. अनुच्छेद 27 – आवागमन की स्वतंत्रता
28. अनुच्छेद 28 – कारागार सुधार
29. अनुच्छेद 29 – निजी संचार सुरक्षा
30. अनुच्छेद 30 – मृत्युदंड समाप्त

https://www.constituteproject.org/constitution/Panama_2004

31. अनुच्छेद 31 – विधि पूर्व अपराध
32. अनुच्छेद 32 – न्यायिक प्रक्रिया
33. अनुच्छेद 33 – अनुशासनात्मक दंड
34. अनुच्छेद 34 – आदेश की जिम्मेदारी
35. अनुच्छेद 35 – धर्म की स्वतंत्रता
36. अनुच्छेद 36 – धार्मिक संगठन
37. अनुच्छेद 37 – अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
38. अनुच्छेद 38 – सभा की स्वतंत्रता
39. अनुच्छेद 39 – संघ बनाने का अधिकार
40. अनुच्छेद 40 – व्यवसाय की स्वतंत्रता
41. अनुच्छेद 41 – याचिका अधिकार
42. अनुच्छेद 42 – डेटा संरक्षण
43. अनुच्छेद 43 – सूचना अधिकार
44. अनुच्छेद 44 – हैबियस डेटा
45. अनुच्छेद 45 – धार्मिक पद सीमा
46. अनुच्छेद 46 – विधि की पूर्व प्रभाविता
47. अनुच्छेद 47 – संपत्ति अधिकार
48. अनुच्छेद 48 – संपत्ति का सामाजिक दायित्व
49. अनुच्छेद 49 – उपभोक्ता अधिकार
50. अनुच्छेद 50 – सार्वजनिक हित सर्वोपरि
51. अनुच्छेद 51 – आपात अधिग्रहण
52. अनुच्छेद 52 – कर व्यवस्था
53. अनुच्छेद 53 – बौद्धिक संपदा
54. अनुच्छेद 54 – संवैधानिक संरक्षण
55. अनुच्छेद 55 – आपातकाल

Chapter 2 – परिवार
56–63 – परिवार, विवाह, माता-पिता, बच्चों के अधिकार

Chapter 3 – कार्य (Work)
64–79 – श्रम अधिकार, वेतन, हड़ताल, काम की शर्तें

Chapter 4 – राष्ट्रीय संस्कृति
80–90 – संस्कृति, भाषा, विरासत

Chapter 5 – शिक्षा
91–108 – शिक्षा का अधिकार

Chapter 6 – स्वास्थ्य व सामाजिक सुरक्षा
109–117 – स्वास्थ्य व कल्याण

Chapter 7 – पर्यावरण
118–121 – पर्यावरण संरक्षण

Chapter 8 – कृषि व्यवस्था
122–126 – भूमि व कृषि

Chapter 9 – लोकपाल
127–130 – लोकपाल संस्था

TITLE IV – राजनीतिक अधिकार
131–142 – मतदान, नागरिक अधिकार, चुनाव आयोग

TITLE V – विधायिका
143–166 – राष्ट्रीय विधानसभा
167–179 – कानून निर्माण

TITLE VI – कार्यपालिका
180–191 – राष्ट्रपति
192–200 – मंत्री परिषद
201–206 – कैबिनेट

TITLE VII – न्यायपालिका
207–224 – न्यायालय
225–230 – लोक अभियोजन

TITLE VIII – स्थानीय शासन
231–250 – नगरपालिका व प्रांत

TITLE IX – सार्वजनिक वित्त
251–281 – बजट, लेखा

TITLE X – राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था
282–298 – आर्थिक व्यवस्था

TITLE XI – सार्वजनिक कर्मचारी
299–309 – सरकारी सेवाएं

TITLE XII – सुरक्षा बल
310–312 – पुलिस व सुरक्षा

TITLE XIII – संशोधन
313–314 – संविधान संशोधन

TITLE XIV – पनामा नहर
315–323 – नहर प्रबंधन

TITLE XV – अंतिम प्रावधान

प्रस्तावना (Preamble)
राष्ट्र को सुदृढ़ करने, स्वतंत्रता सुनिश्चित करने, लोकतंत्र और संस्थागत स्थिरता बनाए रखने, मानव गरिमा को बढ़ावा देने, सामाजिक न्याय, सामान्य कल्याण और क्षेत्रीय एकता को प्रोत्साहित करने तथा ईश्वर की कृपा का आह्वान करते हुए, हम पनामा गणराज्य का यह संविधान घोषित करते हैं।

TITLE I – पनामा राज्य
अनुच्छेद 1
पनामा राष्ट्र एक संप्रभु और स्वतंत्र राज्य के रूप में संगठित है, जिसका नाम पनामा गणराज्य है। इसकी सरकार एकात्मक, गणतांत्रिक, लोकतांत्रिक और प्रतिनिधिक है।

अनुच्छेद 2
सार्वजनिक शक्ति केवल जनता से उत्पन्न होती है।
इसे राज्य द्वारा इस संविधान के अनुसार विधायी, कार्यकारी और न्यायिक अंगों के माध्यम से प्रयोग किया जाता है, जो सीमाओं में रहते हुए अलग-अलग कार्य करते हैं, परंतु आपसी सहयोग बनाए रखते हैं।

अनुच्छेद 3
पनामा गणराज्य का क्षेत्र भूमि, समुद्र, महाद्वीपीय शेल्फ, उपभूमि और वायु क्षेत्र को शामिल करता है। यह क्षेत्र कोलंबिया और कोस्टा रिका के बीच स्थित है।
राष्ट्रीय क्षेत्र को किसी भी अन्य राज्य को न तो सौंपा जा सकता है और न ही स्थानांतरित किया जा सकता है।

अनुच्छेद 4
पनामा गणराज्य अंतरराष्ट्रीय कानून के नियमों का पालन करता है।

अनुच्छेद 5
राज्य का क्षेत्र प्रांतों में विभाजित है, प्रांत जिलों में और जिले नगरों में विभाजित हैं।
कानून द्वारा अन्य प्रशासनिक इकाइयाँ भी बनाई जा सकती हैं।

अनुच्छेद 6
राज्य के प्रतीक राष्ट्रगान, ध्वज और राज्यचिह्न हैं।

अनुच्छेद 7
स्पेनिश गणराज्य की आधिकारिक भाषा है।

TITLE II – नागरिकता और विदेशी
अनुच्छेद 8
पनामाई नागरिकता जन्म, प्राकृतिककरण या संवैधानिक प्रावधान से प्राप्त होती है।

अनुच्छेद 9
निम्न व्यक्ति जन्म से नागरिक हैं:

1. जो देश में जन्मे हों
2. जिनके माता-पिता पनामाई हों
3. विदेश में जन्मे ऐसे बच्चे जो पनामाई माता-पिता के हों

अनुच्छेद 10
निम्न व्यक्ति प्राकृतिककरण द्वारा नागरिक बन सकते हैं:

1. 5 वर्ष निवास वाले विदेशी
2. 3 वर्ष निवास + परिवार संबंध
3. स्पेन/लैटिन अमेरिका के नागरिक

अनुच्छेद 11
विदेश में जन्मे और पनामाई द्वारा गोद लिए गए बच्चे नागरिक माने जाते हैं।

अनुच्छेद 12
नागरिकता से संबंधित नियम कानून द्वारा निर्धारित होंगे।

अनुच्छेद 13
जन्म से नागरिकता समाप्त नहीं होती, पर त्याग से निलंबित हो सकती है।
प्राकृतिक नागरिकता खोई जा सकती है।

अनुच्छेद 14
आव्रजन कानून द्वारा नियंत्रित होगा।

अनुच्छेद 15
देश में रहने वाले सभी लोग संविधान और कानून के अधीन होंगे।

अनुच्छेद 16
प्राकृतिक नागरिकों को अपने मूल देश के विरुद्ध हथियार उठाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

TITLE III – मौलिक अधिकार

अनुच्छेद 17
राज्य का उद्देश्य जीवन, सम्मान और संपत्ति की रक्षा करना है।
संविधान में दिए गए अधिकार न्यूनतम हैं।

अनुच्छेद 18
निजी और सरकारी दोनों व्यक्ति कानून के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार हैं।

अनुच्छेद 19
जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा।

अनुच्छेद 20
सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान हैं।

अनुच्छेद 21
किसी को बिना वैध आदेश के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।
24 घंटे के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

अनुच्छेद 22
गिरफ्तार व्यक्ति को उसके अधिकारों की जानकारी दी जाएगी।
उसे वकील का अधिकार है।

अनुच्छेद 23
गैरकानूनी गिरफ्तारी के विरुद्ध हैबियस कॉर्पस का अधिकार है।

अनुच्छेद 24
राज्य अपने नागरिकों का प्रत्यर्पण नहीं करेगा।

अनुच्छेद 25
कोई व्यक्ति स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं है।

अनुच्छेद 26
निवास स्थान (घर) अतिक्रमण से सुरक्षित है।
बिना अनुमति या वैध आदेश के कोई प्रवेश नहीं कर सकता।
सार्वजनिक स्वास्थ्य या श्रम अधिकारी कानून के अनुसार निरीक्षण कर सकते हैं।

अनुच्छेद 27
हर व्यक्ति को देश में स्वतंत्र रूप से घूमने और निवास बदलने का अधिकार है।
यह अधिकार कानून द्वारा सीमित किया जा सकता है।

अनुच्छेद 28
कारागार व्यवस्था सुरक्षा और सुधार के सिद्धांतों पर आधारित होगी।
कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाएगा।
नाबालिगों के लिए विशेष व्यवस्था होगी।

अनुच्छेद 29
पत्राचार और निजी दस्तावेज सुरक्षित हैं।
बिना न्यायिक आदेश के इन्हें जब्त या जांच नहीं किया जा सकता।
निजी संचार की गोपनीयता सुरक्षित है।

अनुच्छेद 30
मृत्युदंड, निर्वासन और संपत्ति की जब्ती समाप्त की जाती है।

अनुच्छेद 31
केवल वही कार्य दंडनीय होगा जो कानून द्वारा पहले से अपराध घोषित हो।

अनुच्छेद 32
किसी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए दो बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा।

अनुच्छेद 33
कुछ विशेष परिस्थितियों में अधिकारी बिना मुकदमे के दंड दे सकते हैं।

अनुच्छेद 34
अवैध आदेश का पालन करने पर जिम्मेदारी से छूट नहीं मिलेगी।

अनुच्छेद 35
धर्म की स्वतंत्रता है, परंतु सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता का पालन आवश्यक है।

अनुच्छेद 36
धार्मिक संस्थाओं को संपत्ति रखने और प्रबंध करने का अधिकार है।

अनुच्छेद 37
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, परंतु इसका दुरुपयोग दंडनीय है।

अनुच्छेद 38
शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार है।

अनुच्छेद 39
संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता है।

अनुच्छेद 40
हर व्यक्ति को व्यवसाय और पेशा चुनने का अधिकार है।

अनुच्छेद 41
सरकारी अधिकारियों को याचिका देने का अधिकार है।

अनुच्छेद 42
व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत डेटा तक पहुंच और सुधार का अधिकार है।

अनुच्छेद 43
सार्वजनिक सूचना प्राप्त करने का अधिकार है।

अनुच्छेद 44
हैबियस डेटा का अधिकार – डेटा सुधार और सुरक्षा के लिए।

अनुच्छेद 45
धार्मिक व्यक्तियों के सार्वजनिक पदों पर सीमित अधिकार हैं।

अनुच्छेद 46
कानून पूर्व प्रभावी नहीं होंगे, सिवाय कुछ मामलों के।

अनुच्छेद 47
निजी संपत्ति का अधिकार सुरक्षित है।

अनुच्छेद 48
संपत्ति के साथ सामाजिक दायित्व भी जुड़े हैं।

अनुच्छेद 49
उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा की जाएगी।

अनुच्छेद 50
निजी हित की तुलना में सार्वजनिक हित को प्राथमिकता दी जाएगी।

अनुच्छेद 51
युद्ध या आपात स्थिति में सरकार निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है।
स्थिति समाप्त होने पर उचित मुआवजा दिया जाएगा।

अनुच्छेद 52
कोई भी कर केवल कानून द्वारा ही लगाया जा सकता है।

अनुच्छेद 53
लेखक, कलाकार और आविष्कारक को अपने कार्य पर अधिकार प्राप्त है।

अनुच्छेद 54
संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन पर न्यायालय से संरक्षण प्राप्त किया जा सकता है (Amparo)।

अनुच्छेद 55
युद्ध या आपातकाल में कुछ मौलिक अधिकार अस्थायी रूप से निलंबित किए जा सकते हैं।

Chapter 2 – परिवार (Family)

अनुच्छेद 56
राज्य विवाह, मातृत्व और परिवार की रक्षा करेगा।
बच्चों, वृद्धों और असहायों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

अनुच्छेद 57
विवाह परिवार का आधार है और पति-पत्नी समान अधिकार रखते हैं।

अनुच्छेद 58
लंबे समय तक साथ रहने वाले जोड़े को विवाह के समान अधिकार मिल सकते हैं।

अनुच्छेद 59
माता-पिता का कर्तव्य बच्चों का पालन-पोषण और शिक्षा देना है।

अनुच्छेद 60
वैध और अवैध सभी बच्चे समान अधिकार रखते हैं।

अनुच्छेद 61
पितृत्व की जांच कानून द्वारा नियंत्रित होगी।

अनुच्छेद 62
राज्य परिवार के आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा।

अनुच्छेद 63
परिवार संरक्षण के लिए विशेष संस्थाएँ स्थापित की जाएंगी।

Chapter 3 – कार्य (Work)

अनुच्छेद 64
काम करना अधिकार और कर्तव्य दोनों है।

अनुच्छेद 65
सभी श्रमिकों को न्यूनतम वेतन मिलेगा।

अनुच्छेद 66
न्यूनतम वेतन समय-समय पर संशोधित किया जाएगा।

अनुच्छेद 67
समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा।

अनुच्छेद 68
संगठन (Union) बनाने का अधिकार है।

अनुच्छेद 69
हड़ताल का अधिकार मान्य है।

अनुच्छेद 70
कार्य समय सीमित होगा (8 घंटे)।
ओवरटाइम का भुगतान होगा।

अनुच्छेद 71
श्रमिक अधिकारों का त्याग अमान्य होगा।

अनुच्छेद 72
गर्भवती महिलाओं को विशेष सुरक्षा मिलेगी।

अनुच्छेद 73
विदेशी श्रमिकों पर कुछ सीमाएँ लागू होंगी।

अनुच्छेद 74
बिना उचित कारण किसी कर्मचारी को हटाया नहीं जा सकता।

अनुच्छेद 75
श्रमिकों के लिए मुफ्त व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी।

अनुच्छेद 76
यूनियन प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।

अनुच्छेद 77
श्रम विवादों का समाधान श्रम न्यायालय करेंगे।

अनुच्छेद 78
श्रम संबंध सामाजिक न्याय के आधार पर होंगे।

अनुच्छेद 79
ये सभी श्रमिक अधिकार न्यूनतम अधिकार माने जाएंगे।

Chapter 4 – राष्ट्रीय संस्कृति

अनुच्छेद 80
हर व्यक्ति को संस्कृति में भाग लेने का अधिकार है।

अनुच्छेद 81
राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण राज्य करेगा।

अनुच्छेद 82
स्पेनिश भाषा की रक्षा की जाएगी।

अनुच्छेद 83
विज्ञान और तकनीक को बढ़ावा दिया जाएगा।

अनुच्छेद 84
कला और कलाकारों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

अनुच्छेद 85
ऐतिहासिक धरोहर की रक्षा की जाएगी।

अनुच्छेद 86
खेल और शारीरिक विकास को बढ़ावा दिया जाएगा।

अनुच्छेद 87
लोक संस्कृति को संरक्षित किया जाएगा।

अनुच्छेद 88
आदिवासी भाषाओं का संरक्षण किया जाएगा।

अनुच्छेद 89
मीडिया का उपयोग शिक्षा और सूचना के लिए होगा।

अनुच्छेद 90
आदिवासी समुदायों की पहचान का सम्मान किया जाएगा।

Chapter 5 – शिक्षा (Education)

अनुच्छेद 91
शिक्षा का अधिकार और कर्तव्य दोनों है।

अनुच्छेद 92
शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का समग्र विकास है।

अनुच्छेद 93
राष्ट्रीय चेतना का विकास शिक्षा का उद्देश्य है।

अनुच्छेद 94
शिक्षा की स्वतंत्रता है।

अनुच्छेद 95
प्राथमिक शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य है।

अनुच्छेद 96
शिक्षा प्रणाली कानून द्वारा निर्धारित होगी।

अनुच्छेद 97
व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा।

अनुच्छेद 98
उद्योगों को शिक्षा में योगदान देना होगा।

अनुच्छेद 99
शिक्षा में समान अवसर दिए जाएंगे।

अनुच्छेद 100
राज्य शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा।

Chapter 5 जारी – शिक्षा (Education)

अनुच्छेद 101
राज्य शिक्षा में वैज्ञानिक और तकनीकी विकास को बढ़ावा देगा।

अनुच्छेद 102
उच्च शिक्षा संस्थानों को स्वायत्तता प्राप्त होगी।

अनुच्छेद 103
शिक्षा में नैतिक, नागरिक और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा दिया जाएगा।

अनुच्छेद 104
शिक्षा प्रणाली राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुसार विकसित की जाएगी।

अनुच्छेद 105
शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित किया जाएगा।

अनुच्छेद 106
राज्य शिक्षा संस्थानों का नियंत्रण और निरीक्षण करेगा।

अनुच्छेद 107
शिक्षकों की योग्यता और प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाएगा।

अनुच्छेद 108
शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया जाएगा।

Chapter 6 – स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा

अनुच्छेद 109
स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है।

अनुच्छेद 110
राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करेगा।

अनुच्छेद 111
रोगों की रोकथाम और नियंत्रण किया जाएगा।

अनुच्छेद 112
स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास किया जाएगा।

अनुच्छेद 113
स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ावा दिया जाएगा।

अनुच्छेद 114
सामाजिक सुरक्षा प्रणाली स्थापित की जाएगी।

अनुच्छेद 115
कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

अनुच्छेद 116
स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच होगी।

अनुच्छेद 117
राज्य कल्याणकारी योजनाएँ चलाएगा।

Chapter 7 – पर्यावरण (Ecology)

अनुच्छेद 118
पर्यावरण संरक्षण राज्य का कर्तव्य है।

अनुच्छेद 119
प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जाएगा।

अनुच्छेद 120
पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखा जाएगा।

अनुच्छेद 121
प्रदूषण रोकने के उपाय किए जाएंगे।

Chapter 8 – कृषि प्रणाली

अनुच्छेद 122
कृषि विकास को बढ़ावा दिया जाएगा।

अनुच्छेद 123
भूमि सुधार कार्यक्रम लागू किए जाएंगे।

अनुच्छेद 124
किसानों के हितों की रक्षा की जाएगी।

अनुच्छेद 125
ग्रामीण विकास योजनाएँ बनाई जाएंगी।

अनुच्छेद 126
कृषि उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा।

Chapter 9 – लोकपाल (Ombudsman)

अनुच्छेद 127
लोकपाल संस्था की स्थापना की जाएगी।

अनुच्छेद 128
लोकपाल नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा।

अनुच्छेद 129
लोकपाल स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा।

अनुच्छेद 130
लोकपाल की शक्तियाँ कानून द्वारा निर्धारित होंगी।

TITLE IV – राजनीतिक अधिकार

अनुच्छेद 131
राजनीतिक अधिकार सभी नागरिकों को प्राप्त हैं।

अनुच्छेद 132
मतदान का अधिकार सुनिश्चित किया जाएगा।

अनुच्छेद 133
चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होंगे।

अनुच्छेद 134
राजनीतिक दलों की स्थापना की अनुमति है।

अनुच्छेद 135
चुनावी प्रक्रिया कानून द्वारा नियंत्रित होगी।

अनुच्छेद 136
मतदाता पंजीकरण आवश्यक होगा।

अनुच्छेद 137
चुनाव आयोग की स्थापना की जाएगी।

अनुच्छेद 138
चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था होगी।

अनुच्छेद 139
चुनाव प्रक्रिया की निगरानी की जाएगी।

अनुच्छेद 140
चुनाव परिणामों की घोषणा कानून अनुसार होगी।

अनुच्छेद 141
चुनाव विवादों का निपटारा किया जाएगा।

अनुच्छेद 142
मतदान गोपनीय होगा।

TITLE V – विधायिका (Legislative Branch)

अनुच्छेद 143
राष्ट्रीय विधानसभा विधायी शक्ति का प्रयोग करेगी।

अनुच्छेद 144
विधानसभा के सदस्य चुने जाएंगे।

अनुच्छेद 145
विधानसभा की संरचना कानून द्वारा निर्धारित होगी।

अनुच्छेद 146
सदस्यों की योग्यता तय होगी।

अनुच्छेद 147
कार्यकाल निर्धारित होगा।

अनुच्छेद 148
सदस्यों के अधिकार और कर्तव्य होंगे।

अनुच्छेद 149
सदस्य प्रतिरक्षा का अधिकार रखते हैं।

अनुच्छेद 150
विधानसभा सत्र आयोजित करेगी।

अनुच्छेद 151
विशेष सत्र बुलाए जा सकते हैं।

अनुच्छेद 152
विधानसभा के कार्य नियम बनाए जाएंगे।

अनुच्छेद 153
विधानसभा कानून बनाएगी।

अनुच्छेद 154
विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे।

अनुच्छेद 155
विधेयकों पर चर्चा होगी।

अनुच्छेद 156
वोटिंग प्रक्रिया निर्धारित होगी।

अनुच्छेद 157
कानून पारित किए जाएंगे।

अनुच्छेद 158
राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होगी।

अनुच्छेद 159
विधेयक पर आपत्ति की जा सकती है।

अनुच्छेद 160
कानून प्रकाशित किए जाएंगे।

अनुच्छेद 161
बजट कानून पारित किया जाएगा।

अनुच्छेद 162
कर और वित्तीय कानून बनाए जाएंगे।

अनुच्छेद 163
राष्ट्रीय नीतियाँ निर्धारित होंगी।

अनुच्छेद 164
संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण रखेगी।

अनुच्छेद 165
जांच समितियाँ गठित की जाएंगी।

अनुच्छेद 166
विधानसभा के विशेष अधिकार होंगे।

TITLE VI – कार्यपालिका (Executive Branch)

अनुच्छेद 167
कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होगा।

अनुच्छेद 168
राष्ट्रपति जनता द्वारा चुना जाएगा।

अनुच्छेद 169
राष्ट्रपति का कार्यकाल निर्धारित होगा।

अनुच्छेद 170
राष्ट्रपति की योग्यताएँ तय होंगी।

अनुच्छेद 171
राष्ट्रपति के अधिकार और कर्तव्य होंगे।

अनुच्छेद 172
राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के साथ कार्य करेगा।

अनुच्छेद 173
उप-राष्ट्रपति की नियुक्ति होगी।

अनुच्छेद 174
मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी।

अनुच्छेद 175
मंत्रिपरिषद शासन में सहायता करेगी।

अनुच्छेद 176
कार्यपालिका प्रशासनिक कार्य करेगी।

अनुच्छेद 177
राष्ट्रीय नीतियाँ लागू की जाएंगी।

अनुच्छेद 178
सरकारी आदेश जारी किए जाएंगे।

अनुच्छेद 179
आपातकालीन शक्तियाँ लागू की जा सकती हैं।

अनुच्छेद 180
कार्यपालिका संविधान के अनुसार कार्य करेगी।

TITLE VI जारी – कार्यपालिका (Executive Branch)

अनुच्छेद 181
राष्ट्रपति राज्य और सरकार का प्रमुख होता है।

अनुच्छेद 182
राष्ट्रपति संविधान और कानूनों का पालन सुनिश्चित करेगा।

अनुच्छेद 183
राष्ट्रपति राष्ट्रीय प्रशासन का संचालन करेगा।

अनुच्छेद 184
राष्ट्रपति अंतरराष्ट्रीय संबंधों का संचालन करेगा।

अनुच्छेद 185
राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है।

अनुच्छेद 186
राष्ट्रपति सार्वजनिक अधिकारियों की नियुक्ति करेगा।

अनुच्छेद 187
राष्ट्रपति कानूनों को लागू करेगा।

अनुच्छेद 188
राष्ट्रपति आपातकालीन निर्णय ले सकता है।

अनुच्छेद 189
राष्ट्रपति संसद को संबोधित कर सकता है।

अनुच्छेद 190
राष्ट्रपति राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

अनुच्छेद 191
राष्ट्रपति प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा।

TITLE VII – न्यायपालिका (Judicial Branch)

अनुच्छेद 192
न्यायपालिका स्वतंत्र होगी।

अनुच्छेद 193
न्यायिक शक्ति न्यायालयों में निहित होगी।

अनुच्छेद 194
सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च संस्था होगी।

अनुच्छेद 195
न्यायाधीशों की नियुक्ति कानून अनुसार होगी।

अनुच्छेद 196
न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे।

अनुच्छेद 197
न्यायालयों का संगठन कानून द्वारा निर्धारित होगा।

अनुच्छेद 198
न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष होगी।

अनुच्छेद 199
न्यायालयों को संवैधानिक मामलों का अधिकार होगा।

अनुच्छेद 200
न्यायपालिका नागरिक अधिकारों की रक्षा करेगी।

अनुच्छेद 201
न्यायालय कानून की व्याख्या करेंगे।

अनुच्छेद 202
न्यायिक निर्णय बाध्यकारी होंगे।

अनुच्छेद 203
न्यायिक समीक्षा का अधिकार होगा।

अनुच्छेद 204
न्यायालय संविधान की रक्षा करेंगे।

अनुच्छेद 205
विशेष न्यायालय बनाए जा सकते हैं।

अनुच्छेद 206
न्यायपालिका प्रशासनिक नियंत्रण रखेगी।

अनुच्छेद 207
न्यायालयों की शक्तियाँ कानून द्वारा निर्धारित होंगी।

अनुच्छेद 208
न्यायिक प्रक्रिया पारदर्शी होगी।

अनुच्छेद 209

न्यायिक अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी।

अनुच्छेद 210
न्यायिक प्रणाली जनता के लिए सुलभ होगी।

अनुच्छेद 211
न्यायिक सुधार लागू किए जाएंगे।

अनुच्छेद 212
न्यायपालिका निष्पक्षता बनाए रखेगी।

अनुच्छेद 213
न्यायिक कार्यवाही कानून के अनुसार होगी।

अनुच्छेद 214
न्यायालयों के निर्णय लागू होंगे।

अनुच्छेद 215
न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष रहेगी।

अनुच्छेद 216
न्यायिक अनुशासन लागू होगा।

अनुच्छेद 217
न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति नियमबद्ध होगी।

अनुच्छेद 218
न्यायिक प्रशिक्षण आवश्यक होगा।

अनुच्छेद 219
न्यायपालिका में सुधार जारी रहेंगे।

अनुच्छेद 220
न्यायिक प्रणाली कानून के अनुसार संचालित होगी।

अनुच्छेद 221
न्यायपालिका संविधान के अधीन होगी।

अनुच्छेद 222
न्यायिक संस्थानों का संगठन किया जाएगा।

अनुच्छेद 223
न्यायिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी।

अनुच्छेद 224
न्यायपालिका राज्य के हितों की रक्षा करेगी।

अनुच्छेद 225
लोक अभियोजन प्रणाली स्थापित होगी।

अनुच्छेद 226
अभियोजन अधिकारी कानून लागू करेंगे।

अनुच्छेद 227
अभियोजन स्वतंत्र होगा।

अनुच्छेद 228
अभियोजन न्यायालयों के साथ कार्य करेगा।

अनुच्छेद 229
अभियोजन सार्वजनिक हित की रक्षा करेगा।

अनुच्छेद 230
अभियोजन प्रणाली कानून द्वारा नियंत्रित होगी।

TITLE VIII – स्थानीय शासन

अनुच्छेद 231
स्थानीय प्रशासन स्थापित किया जाएगा।

अनुच्छेद 232
नगरपालिका को अधिकार दिए जाएंगे।

अनुच्छेद 233
स्थानीय निकाय स्वतंत्र होंगे।

अनुच्छेद 234
स्थानीय चुनाव आयोजित होंगे।

अनुच्छेद 235
स्थानीय प्रशासन कानून के अनुसार कार्य करेगा।

अनुच्छेद 236
नगरपालिका सेवाएँ प्रदान करेंगी।

अनुच्छेद 237
स्थानीय विकास योजनाएँ बनाई जाएंगी।

अनुच्छेद 238
नगरपालिका वित्तीय प्रबंधन करेगी।

अनुच्छेद 239
स्थानीय कर लगाए जा सकते हैं।

अनुच्छेद 240
स्थानीय संस्थाओं का नियंत्रण होगा।

अनुच्छेद 241
प्रांतीय प्रशासन स्थापित होगा।

अनुच्छेद 242
प्रांतीय सरकार विकास कार्य करेगी।

अनुच्छेद 243
प्रांतीय प्रशासन कानून द्वारा नियंत्रित होगा।

अनुच्छेद 244
प्रांतीय संस्थाएँ सहयोग करेंगी।

अनुच्छेद 245
स्थानीय और प्रांतीय समन्वय होगा।

अनुच्छेद 246
स्थानीय निकाय सार्वजनिक सेवाएँ प्रदान करेंगे।

अनुच्छेद 247
स्थानीय प्रशासन पारदर्शी होगा।

अनुच्छेद 248
स्थानीय विकास को बढ़ावा दिया जाएगा।

अनुच्छेद 249
स्थानीय अधिकार संरक्षित होंगे।

अनुच्छेद 250
नगरपालिका और प्रांत राज्य का हिस्सा होंगे।

TITLE IX – सार्वजनिक वित्त

अनुच्छेद 251
राज्य की संपत्ति और वित्त का प्रबंधन किया जाएगा।

अनुच्छेद 252
राजकोषीय नीति निर्धारित होगी।

अनुच्छेद 253
राज्य का बजट बनाया जाएगा।

अनुच्छेद 254
बजट कानून द्वारा पारित होगा।

अनुच्छेद 255
राजस्व और व्यय नियंत्रित होंगे।

अनुच्छेद 256
लेखा प्रणाली स्थापित होगी।

अनुच्छेद 257
वित्तीय नियंत्रण किया जाएगा।

अनुच्छेद 258
लेखा परीक्षा (Audit) होगी।

अनुच्छेद 259
सार्वजनिक धन का उपयोग नियंत्रित होगा।

अनुच्छेद 260
वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी।

TITLE IX जारी – सार्वजनिक वित्त

अनुच्छेद 261
राज्य वित्तीय अनुशासन बनाए रखेगा।

अनुच्छेद 262
सरकारी खर्च कानून के अनुसार होगा।

अनुच्छेद 263
राजकोषीय उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जाएगा।

अनुच्छेद 264
राजस्व संग्रह की प्रक्रिया निर्धारित होगी।

अनुच्छेद 265
सार्वजनिक धन का दुरुपयोग दंडनीय होगा।

अनुच्छेद 266
वित्तीय संस्थाओं का नियमन किया जाएगा।

अनुच्छेद 267
सरकारी लेखा प्रणाली पारदर्शी होगी।

अनुच्छेद 268
राज्य की वित्तीय रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

अनुच्छेद 269
लेखा परीक्षण नियमित रूप से होगा।

अनुच्छेद 270
सार्वजनिक धन की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

अनुच्छेद 271
वित्तीय नियंत्रण संस्थाएँ कार्य करेंगी।

अनुच्छेद 272
राजकोषीय नीति स्थिरता बनाए रखेगी।

अनुच्छेद 273
आर्थिक संसाधनों का उचित उपयोग होगा।

अनुच्छेद 274
राज्य वित्तीय प्रबंधन कानून के अधीन होगा।

अनुच्छेद 275
सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा।

अनुच्छेद 276
वित्तीय अनुशासन लागू रहेगा।

अनुच्छेद 277
राजकोषीय प्रणाली का विकास किया जाएगा।

अनुच्छेद 278
राज्य वित्तीय नियंत्रण मजबूत करेगा।

अनुच्छेद 279
सार्वजनिक वित्त का लेखा-जोखा रखा जाएगा।

अनुच्छेद 280
वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

अनुच्छेद 281
राजकोषीय नियमों का पालन अनिवार्य होगा।

TITLE X – राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था

अनुच्छेद 282
राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का संचालन राज्य करेगा।

अनुच्छेद 283
आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जाएगा।

अनुच्छेद 284
उद्योग और व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा।

अनुच्छेद 285
निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का संतुलन रखा जाएगा।

अनुच्छेद 286
राष्ट्रीय संसाधनों का संरक्षण किया जाएगा।

अनुच्छेद 287
आर्थिक नीतियाँ जनहित में होंगी।

अनुच्छेद 288
उत्पादन और वितरण प्रणाली विकसित होगी।

अनुच्छेद 289
विदेशी निवेश को कानून के अनुसार नियंत्रित किया जाएगा।

अनुच्छेद 290
आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित की जाएगी।

अनुच्छेद 291
राज्य आर्थिक असमानता कम करेगा।

अनुच्छेद 292
उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा होगी।

अनुच्छेद 293
आर्थिक गतिविधियों का नियमन किया जाएगा।

अनुच्छेद 294
व्यापार और उद्योग कानून के अधीन होंगे।

अनुच्छेद 295
राष्ट्रीय उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा।

अनुच्छेद 296
संसाधनों का न्यायसंगत वितरण होगा।

अनुच्छेद 297
आर्थिक योजनाएँ लागू की जाएंगी।

अनुच्छेद 298
राज्य आर्थिक नीति निर्धारित करेगा।

TITLE XI – सार्वजनिक कर्मचारी

अनुच्छेद 299
सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति कानून अनुसार होगी।

अनुच्छेद 300
कर्मचारियों के अधिकार और कर्तव्य निर्धारित होंगे।

अनुच्छेद 301
सेवा में निष्पक्षता और पारदर्शिता होगी।

अनुच्छेद 302
सरकारी सेवा में योग्यता का महत्व होगा।

अनुच्छेद 303
कर्मचारियों का आचरण नियंत्रित होगा।

अनुच्छेद 304
अनुशासनात्मक नियम लागू होंगे।

अनुच्छेद 305
सेवा शर्तें कानून द्वारा निर्धारित होंगी।

अनुच्छेद 306
कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी।

अनुच्छेद 307
प्रशासनिक सुधार लागू किए जाएंगे।

अनुच्छेद 308
सरकारी सेवा कुशल और प्रभावी होगी।

अनुच्छेद 309
सार्वजनिक सेवा जनहित में होगी।

TITLE XII – सुरक्षा बल

अनुच्छेद 310
सुरक्षा बल राज्य की रक्षा करेंगे।

अनुच्छेद 311
सुरक्षा बल कानून के अधीन कार्य करेंगे।

अनुच्छेद 312
सुरक्षा बलों का संगठन कानून द्वारा निर्धारित होगा।

TITLE XIII – संविधान संशोधन

अनुच्छेद 313
संविधान संशोधन की प्रक्रिया निर्धारित है।

अनुच्छेद 314
संशोधन विधायी प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा।

TITLE XIV – पनामा नहर

अनुच्छेद 315
पनामा नहर राष्ट्रीय संपत्ति है।

अनुच्छेद 316
नहर का प्रबंधन राज्य द्वारा किया जाएगा।

अनुच्छेद 317
नहर का उपयोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए होगा।

अनुच्छेद 318
नहर की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

अनुच्छेद 319
नहर से संबंधित नीतियाँ बनाई जाएंगी।

अनुच्छेद 320
नहर प्रशासन कानून द्वारा नियंत्रित होगा।

अनुच्छेद 321
नहर से आय राज्य को प्राप्त होगी।

अनुच्छेद 322
नहर संचालन पारदर्शी होगा।

अनुच्छेद 323
नहर राष्ट्रीय हित में कार्य करेगी।

TITLE XV – अंतिम और अस्थायी प्रावधान

अनुच्छेद 324
संविधान का पालन अनिवार्य है।

अनुच्छेद 325
पूर्व कानूनों की वैधता बनी रहेगी जब तक वे विरोधाभासी न हों।

अनुच्छेद 326
संक्रमणकालीन व्यवस्थाएँ लागू होंगी।

अनुच्छेद 327
संविधान लागू होने की प्रक्रिया निर्धारित है।

अनुच्छेद 328
यह संविधान सर्वोच्च कानून है।

M/s.Adv.Ganesh Shrirang Satarkar & Co.
Published By This Book

THE END

Email: ganeshnale0@gmail.com | adv.ganeshsatarkar@gmail.com
Mobile: +91 7066766607 | +91 9422422932